न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 011/2021 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 13.07.2021
GCMS NO. :-2021/308

1–गोपीलाल पिता हीरा नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ मृत्तक के बजाएः–

1/1–मांगी पुत्री गोपीलाल नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/2–सीमा पुत्री गोपीलाल नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/3–मेना पुत्री गोपीलाल नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/4–लक्ष्मी बेवा गोपीलाल नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

2–लेहरू पिता हीरा नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

3–किशनलाल पिता चुन्नीलाल नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

4–मनोहरी पुत्री चुन्नीलाल नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

5–बीबी पुत्री स्व. चुन्नीलाल नाई, उम्र, वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

6–प्रमिला पुत्री स्व. चुन्नीलाल नाई, उम्र वयस्क, निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थीगण

बनाम

नाथू पिता भैरा सालवी, उम्र वयस्क, निवासी ओडून्द, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 011/2021 (रा. अ.)
गोपीलाल पिता हीरा नाई मृत्तक के बजाएः- मांगी पुत्री गोपीलाल नाई निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम नाथू पिता भैरा सालवी, निवासी ओडून्द, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़, प्रकरण संख्या 01/2019 बअनवान नाथू बनाम गोपीलाल वगैरा निर्णय दिनांक 04.08.2020

उपस्थितिः- 1- श्री रमेश चन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2- श्री भैरूलाल गुर्जर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी की आराजीयात ग्राम ओडून्द, तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसके आराजी संख्या 613 रकबा 0.90 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 614 रकबा 0.36 हैक्टेयर है जिसके दक्षिण में अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की आराजी नम्बर 632 रकबा 0.53 हैक्टेयर दर्ज रेकार्ड होकर प्रार्थी की आराजीयात से जुड़ी है प्रार्थी की आराजी नम्बर 614 पर अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण जबरन बुवाई करने लगे तो इसकी जानकारी तब हुई जब प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढ़ी कराने का आदेश प्राप्त किया। पत्थरगढी दिनांक 30.05.2017 को की जाकर पर्चा मुर्तिब करने से आराजी नम्बर 614 रकबा 0.36 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा कब्जा करने की जानकारी हुई। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को विवादित आराजीयात से बदेखल करने एवं कब्जा विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को दिलाने व जुर्माने का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्र. सं. 011/2021 (रा. अ.)
गोपीलाल पिता हीरा नाई मृत्तक के बजाएः- मांगी पुत्री गोपीलाल नाई निवासी कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ वगैरा बनाम नाथू पिता भैरा सालवी, निवासी ओडून्द, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.08.2020 निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल गुर्जर ने उपस्थिति दी। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। पत्रावली प्राप्त होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया कि उक्त अपील आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में मियाद बाहर प्रस्तुत हुआ है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 183-बी की मियाद 12 वर्ष अंकित कर रखी है जो कानूनन होकर बाध्यकारी है। अपीलार्थीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा 100 वर्षो से अधिक समय से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। उक्त तथ्य को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आदेश पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण की पुरानी खातेदारी की आराजी वाके ग्राम ओडून्द के आराजी संख्या 205 से 207, 209 एवं 210 जिसके नये नम्बर 632 से 639 एवं 641 किता 09 कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर पडे जो हमारे कब्जे काश्त में है प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की मौके पर कोई आराजीयात नहीं है। अपीलार्थीगण के खाता संख्या 61 में वर्णित आराजीयात कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर की नपती करने से स्पष्ट है कि सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों ने नक्शा गलत बना दिया जिससे यह विवाद उत्पन्न हुआ जबकि मौके पर रेस्पोडेन्ट की कोई आराजीयात नहीं है। कोरोनाकाल में दिनांक 28.07.2020 को अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक्स पार्टी कर प्रकरण में दिनांक 04.08.2020 को अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के विरूद्ध मौके से बेदखली के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय का यह आदेश मनमाना होकर अपीलार्थीगण से द्वेषता रखते हुए पारित किया जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। आदेश दिनांक 04.08.2020 की जानकारी अपीलार्थीगण को नहीं थी। सर्वप्रथम जानकारी कब्जा देने के नोटिस दिनांक 05.07.2021 से हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन दिनांक 05.07.2021 को पेश किया जिस पर नकल दिनांक 07.07.2021 को

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्राप्त हुई उसके पश्चात् अधिवक्ता से राय कर जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत है फिर भी विलम्ब को विस्तारित करने हेतु दफा 05 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय दिनांक 04.08.2020 निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह रहा कि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी एवं कब्जेयाबी की कृषि भूमि ग्राम ओडून्द, तहसील चित्तौड़गढ़ में स्थित है जिसके आराजी नम्बर 613 रकबा 0.90 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 614 रकबा 0.36 हैक्टेयर है जो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की पुश्तैनी आराजीयात है उक्त आराजीयात के दक्षिण में अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण का बीड होकर उसके आराजी नम्बर 632 रकबा 0.53 हैक्टैयर दर्ज राजस्व रेकार्ड है जो प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के आराजीयात से जुडा हुआ है अपीलार्थीगण मुझ रेस्पोडेन्ट की आराजी नम्बर 614 रकबा 0.36 हैक्टेयर पर जबरन कब्जा कर फसल बुवाई करने लगे इसकी जानकारी पत्थरगढी हेतु न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने पर हुई। रेस्पाडेन्ट जाति से सालवी होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा अपीलार्थीगण जो कि जाति से नाई होकर स्वर्ण जाति के व्यक्ति हैं जिन्होनें रेस्पाडेन्ट की उक्त आराजी नम्बर 614 रकबा 0.36 हैक्टेयर भूमि पर अवैध तरीके से नाजायज कब्जा कर लिया है, जो गैर-कानूनी है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा नियमों के विरूद्ध कब्जा किया जाता है तो किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त कराये। विवादित आराजीयात वर्तमान जमाबन्दी अनुसार रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है जिससे स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि का रेस्पोडेन्ट खातेदार है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा किया गया कब्जा अवैध व गैर कानूनी होने से अपीलार्थीगण बेदखली के अधिकारी है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में धारा 183-बी का उद्धेश्य दलित, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के विरूद्ध किये जा रहे अत्याचार, नाइंसाफी से उनको मुक्ति

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिलाना तथा उनकी भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा किऐ गए अवैध कब्जे से मुक्त कराकर पुनः भूमि उन्हें दिलाना बताया है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे तथा रेस्पोडेन्ट की विवादित भूमि पर से अपीलार्थीगण को बेदखल किए जाने के साथ ही अपीलार्थीगण से रेस्पोडेन्ट को उचित मुआवजा एवं अन्य अनुतोष दिलाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतो से मार्गदर्शन प्राप्त किया। अपीलार्थीगण तथा उनके अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 12 वर्ष की अवधि के अन्दर ही प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान होने तथा उक्त प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होते हुए भी स्वीकार करने में त्रुटि करने का कथन किया है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रकरण जायदाद से संबंधित है एवं माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों से प्रतिपादित किया गया है कि मियाद के बिन्दु को उदारतापूर्ण देखा जाना चाहिऐ। न्यायिक दृष्टांत RRT 2005(1) उगम सिंह बनाम दुलाराम पेज 611 से 621 में उल्लेखित दृष्टांतों में भी विवादित भूमि के संबंध में जो इकरारनामा 'चूनाराम पुत्र मेवाराम' द्वारा दिनांक 16.08.1953 को लिखा गया होना बताया केवल इस इकरारनामे के आधार पर तहसीलदार द्वारा विवादित भूमि पर वर्तमान प्रार्थीगण का 40-50 वर्षों से कब्जा होना तथा 12 वर्ष की अवधि में प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के आधार पर 183-बी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वैधानिक त्रुटि माना है। उसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण ने विवादित आराजीयात पर उनका 100 वर्ष से भी अधिक समय से पुराना कब्जा होने संबंधी कथन करते हुए प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने का कथन किया है जबकि कथन की पुष्टि में कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने भी अनाधिकृत कब्जे को आधार मानते हुए अतिक्रमी को भूमि से बेदखल किए जाने में 12 वर्ष की अवधि में प्रार्थना पत्र पेश होना आवश्यक नहीं मानते हुए प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद मानकर उसका निस्तारण किया है जिसमें हम कोई विधिक-त्रुटि होना नहीं पाते हैं।

अपीलार्थीगण ने उक्त विवादित आराजीयात को उनके खातेदारी के साबिक आराजी संख्या 205 से 207, 209 एवं 210 जिसके नवीन आराजी संख्या 632 से 639 एवं 641 किता 09 कुल रकबा 2.25 हैक्टेयर का हिस्सा होना बताकर स्वयं की आराजी होने तथा सेटलमेंट विभाग के अधिकारियों द्वारा नक्शा गलत बनाने का कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में अपीलार्थीगण ने अपना विधिक कब्जा होने का अधीनस्थ न्यायालय में अथवा इस न्यायालय में ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य आदि पेश नहीं किया है जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी संख्या 125 सम्वत् 2068-71 वाके ग्राम ओडून्द का अवलोकन करने पर स्पष्ट प्रतिवेदित है कि आराजी नम्बर 613 रकबा 0.90 एवं आराजी नम्बर 614 रकबा 0.36 हैक्टेयर रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज है वर्तमान में जमाबन्दी अनुसार उक्त विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज होकर रेस्पोडेन्ट विवादित आराजीयात का रेकार्डेड खातेदार है चूंकि भूमि अनुसूचित जाति की श्रेणी के व्यक्ति की है जिससे अपीलार्थीगण इस पर कोई हक व अधिकार नहीं रखता है।

यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि धारा 183 (बी) के तहत कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही होकर किसी भी न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन होते हुए भी स्थगित नहीं की जा सकती है तथा एक संक्षिप्त जांच करते हुए अतिचारी को सुनवाई का अवसर देकर निर्धारित समय में निर्णय पारित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

किए जाने के प्रावधान है। यहां धारा 183 (बी) का अवलोकन किया जाना उचित होगाः-

183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183-बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठ भूमि इस प्रकार है कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत **(person or persons entitled to admit trespasser as tenant)** था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (**1970 RRD 387**) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

183 में संशोधन करके शब्दावली **"entitled to admit"** को विलोपित कर शब्दावली **"entitled to eject"** प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183-बी जोड़ी गयी। धारा 183-बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183-बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06.1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183-बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक-आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सरकार की वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदन शीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा। उक्त धारा 183-बी में अथवा उसके उद्देश्यों और कारणों के कथन **(statement of Objects and Reasons)** में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, कि यह नवीन धारा 1978 के बाद कब्जा किये जाने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी।

अधिनियम, 1955 की धारा 183 (बी) के अन्तर्गत प्रकरण दायर करने के लिये केवल निम्न शर्त हैः-

(1) कि जो व्यक्ति प्रकरण प्रस्तुत कर रहा है वह या तो वादग्रस्त भूमि का खातेदार होना चाहिये, या ऐसा अधिकारी होना चाहिये जो इस धारा के अन्तर्गत बेदखली का आदेश देने के लिये अधिकृत हो।

(2) वादग्रस्त भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति की खातेदारी में होनी चाहिये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(3) जिस व्यक्ति के विरूद्ध बतौर अतिक्रमी प्रकरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वह व्यक्ति गैर अनुसूचित जाति, जनजाति को होना चाहिये, जिसने वादग्रस्त भूमि पर या तो अतिक्रमण कर लिया है या बिना अधिकार के ऐसे अतिक्रमण को बनाये हुये **(A trespasser who has taken or retained possession without lawful authority)** है।

(4) प्रस्तुत प्रकरण वाद हेतु उत्पन्न होने से 12 साल की मियाद में होना चाहिये।

धारा 183 (बी) की उपरोक्त शर्तें हस्तगत प्रकरण पर पूर्ण रूप से लागू होती हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 614 रकबा 0.36 हैक्टेयर किस्म बीड वर्तमान में रेस्पोडेन्ट के खातेदारी में दर्ज होकर रेस्पोडेन्ट उक्त विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार है जिसके खातेदारी अधिकारों का अवसान नहीं हुआ है तथा न ही उक्त विवादित आराजीयात कृषि से भिन्न प्रयोजन हेतु रूपान्तरित होना प्रतिवेदित है जिस पर अपीलार्थीगण का अवैधानिक रूप से कब्जा सिद्ध है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2020 में हम कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाते हैं। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.08.2020 यथावत रखा जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official